

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/ पैरा.मै./एफ.01/स्थाईकरण/ 479

दिनांक 16.05.2024

आदेश

निम्नांकित कार्मिको के निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/ई-33/सहा.रेडियो./सीधी भर्ती-2020/एफ-40/2021/347 दिनांक 13.10.2021, ई-33/लैब टैक्नीशियन/सीधी भर्ती 2020.एफ-1612/2022/73 दिनांक 28.01.2022, के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टैक्नीशियन के पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (**probation period**) इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद बताये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाईकरण करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1) एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टैक्नीशियन के पद की पे मैट्रिक्स एल-8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे:-

क्र सं	कर्मचारी का नाम मय पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान/जिला	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात परीक्षाकाल पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मनीष कुमार धाकड़, सहायक रेडियोग्राफर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सापला जिला केकडी	25.02.1999	14.10.2021	13.10.2023	14.10.2023
2.	दीपक कुमार शर्मा, सहायक रेडियोग्राफर	अधीक्षक, महात्मा गौंधी अस्पताल, भीलवाडा(राजमाता विजयाराजे सिन्धिया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, भीलवाडा)	25.01.1998	14.10.2021	13.10.2023	14.10.2023

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरा.मै./एफ.01/स्थाईकरण/ 479

दिनांक 16.05.2024

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
5. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7082409

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :14-05-2024 10:16:11